कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/सी–1/स्थानांतरण/अंग्रेजी/2019–20 दिनांक–29.09.2019 के तहत् विद्या विधानी व्याख्याता, अंग्रेजी, राउमावि मालावाला, जमवारामगढ, जयपुर का स्थानांतरण संत शिरोमणी नारायण दास राउमावि धोला, जयपुर किया गया। विद्या विधानी द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 3639/2019 विद्या विधानी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3639/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.11.2019 द्वारा याचिकार्थी विद्या विधानी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में समुचित नवीन आदेश प्रसारित कर अभ्यावेदन का निस्तारण करने तथा तब तक अपीलार्थी के कार्यमुक्त/कार्यग्रहण पर बल नहीं देने के आदेश प्रसारित किये।

माननीय अधिकरण के निर्णय के तहत अपीलार्थी विद्या विधानी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वंय के विधवा होने के आधार पर अपना पदस्थापन अतिरिक्त निदेशक समसा कार्यालय, जयपुर/प्रोजेक्ट ऑफिसर, समसा कार्याजय जयपुर/एस.आई.ई.एम.ई.टी. गोनेर जयपुर/राजस्थान स्टेट टैक्स्ट बुक बोर्ड, जयपुर करने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। इससे स्पष्ट है कि प्राप्त आवेदनों में रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाना बाध्यकारी नहीं है। अपीलार्थी को पूर्व में पदस्थापित जिले जयपुर मे ही पदस्थापित किया है। किसी अन्य जिले में नहीं।

यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी लोक सेवक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है और नियोक्ता द्वारा इनका छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।अतः अपीलार्थी द्वारा अन्यत्र समायोजन की मांग तर्क संगत नहीं है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। चूंकि विद्या विधानी का अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारों पर खारिज किया जा चुका है। अतः इन्हें निर्देशित किया जाता है कि ये विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में अपने स्थानान्तरित स्थान संत शिरोमणी नारायण दास राउमावि धोला, जयपुर में व्याख्याता के पद पर दिनांक 23.12.2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें। अन्यथा इनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।

20/12

(हिमांशु गुप्ता)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–1/अंग्रेजी/अपील सं.3639/विद्या विधानी/2019/ दिनांकः– 20.12.2019

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जयपुर
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य
9. संबंधित कार्मक
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)

C-1 Court Case 15